HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1528/2025

Hukamchand Bunkar S/o Shri Mewaram, Aged About 45 Years, R/o Village Nangal (Abhaypura) Via Palsana, Tehsil Dantaramgarh, District Sikar (Raj.) (At Present Confined In Central Jail Bikaner)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p.
2. Kapil Choudhary S/o Shri Baldev Singh, Aged About 32 Years, R/o Village Bhadwasi, District Sikar (Raj.)

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Pradeep Bochaliya, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP Mr. Manish Kumar Meena, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

07/05/2026

विचारण न्यायालय तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे। प्रकरण छः सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

In S.B. Cri. Misc. (SOS) Appl. No. 357/2025

याची/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन/ जमानत आवेदन पर विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

याची/अभियुक्त को विचारण न्यायालय विद्वान **विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई.एक्ट प्रकरण), सीकर** द्वारा प्रकरण संख्या–**350/2021** में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित **12.09.2024** द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करार देते हुए कारावास के साथ–साथ

13,00,000/– रूपये अर्थदण्ड से दंडित करने व उसमें असफल रहने पर **अतिरिक्त साधारण कारावास** भुगतने का आदेश दिया। जिसके विरूद्ध अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय, सेशन न्यायाधीश, सीकर द्वारा फौजदारी अपील संख्या–**133/2024** अदम पैरवी एवं अदम हाजिरी में खारिज कर दी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि मामला धारा 138 एनआईएक्ट से संबंधित तथा आपसी लेन–देन का है। अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में होकर सजा भुगत रहा है, धारा 148 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए रिहाई पूर्व ही इस न्यायालय द्वारा आदेशित राशि प्रार्थी–अभियुक्त विचारण न्यायालय में जमा कराने हेतु तत्पर है, निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, जबकि विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन आवेदन का विरोध किया।

सुना गया एवं विचार किया गया। धारा 148 प्रक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रावधानों की मंशा को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, यह दण्डादेश स्थगन का आवेदन याची/अभियुक्त की ओर से **2,60,000**/– की राशि का परिवादी के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट अधीनस्थ विचारण न्यायालय में जमा कराने की पूर्ववर्ती शर्त पर स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि याची/अभियुक्त इस न्यायालय में दिनांक **08.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए तथा आक्षेपित निर्णय दिनांकित **12.09.2024** के तहत पारित **दण्डादेश (sentence)** के क्रियान्वयन को इस पुनरीक्षण याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

याची/अभियुक्त यदि निगरानी याचिका में सफल रहता है तो अयाची/परिवादी **07 प्रतिशत** वार्षिक ब्याज सहित जमाशुदा राशि वापस याची/अभियुक्त को लौटाने बाबत् बंध पत्र विचारण न्यायालय में पेश कर दे,

तो उपरोक्त जमाशुदा राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट विचारण न्यायालय द्वारा बाद रसीद परिवादी को अदा कर दिया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /79